विविध बैंक प्रकरण संख्या 45/2021(GCMS : 2021/136) भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री श्याम सुंदर अरोड़ा शाखा रामसेक, द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> <u>1.</u> अमृतपाल सिंह पुत्र जीत सिंह <u>2.</u> राजिन्द्र कौर पत्नी अमृतपाल सिंह निवासी मकान नम्बर 33, वासुदेव नगर, चक 1 ए छोटी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>11.04.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण अमृतपाल सिंह एवं राजिन्द्र कौर को ऋण सुविधा के रूप में 27.50/- लाख रूपये (अखरे रूपये सत्ताईस लाख पच्चास मात्र) का ऋण दिनांक 22.06.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अमृतपाल सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 33 (पूर्वी भाग, उत्तर मुखी), वास्तुदेव नगर चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 67 किला नं. 23-24,(क्षेत्रफल 19'6'' गुणा 69') श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 15.01.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 23.03.2021 को 30,69,912/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.03.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को विधिवत रूप से तामिल कराये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी अमृतपाल **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 33 (पूर्वी भाग, उत्तर मुखी), वास्तुदेव नगर चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 67 किला नं. 23—24,(क्षेत्रफल 19'6'' गुणा 69') श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी** अमृतपाल एवं राजिन्द्र कौर को 27.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये सत्ताईस लाख पच्चास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 22.06.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी अमृतपाल **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति** प्लॉट नं. 33 (पूर्वी भाग, उत्तर मुखी), वास्तुदेव नगर चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 67 किला नं. 23—24,(क्षेत्रफल 19'6'' गुणा 69') श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **15.01.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.03.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा [illegible] धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी अमृतपाल सिंह **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** प्लॉट नं. 33 (पूर्वी भाग, उत्तर मुखी), वास्तुदेव नगर चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 67 किला नं. 23–24, (क्षेत्रफल 19'6'' गुणा 69') श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.03.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.032021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण अमृतपाल सिंह एवं राजिन्द्र कौर को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.03.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी अमृतपाल सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः **उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक. का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2021** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अ[illegible] 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी [illegible] एवज में रखी गई गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 33 (पूर्वी भाग, उत्तर मुखी), वास्तुदेव नगर चक 1 ए छोटी, मुरब्बा नं. 67 किला नं. 23–24,(क्षेत्रफल 19'6'' गुणा 69') श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested